सत्यमेव जयते

# THE
# JHARKHAND GAZETTE
## EXTRAORDINARY
## PUBLISHED BY AUTHORITY

**21 AGRAHAYAN 1945 (S)**

**No. 726**

**RANCHI, TUESDAY 12th DECEMBER, 2023**

## COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

--------

NOTIFICATION

12th December, 2023

### Notification No.- 29/2023 – State Tax

**S.O. No. 42, Dated 12th December, 2023--**In exercise of the powers conferred by section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following special procedure to be followed by a registered person or an officer referred to in sub-section (2) of Section 107 of the said Act who intends to file an appeal against the order passed by the proper officer under section 73 or 74 of the said Act in accordance with Circular No. 182/14/2022-GST, dated 10th of November, 2022 pursuant to the directions of the Hon'ble Supreme Court in the case of Union of India v/s Filco Trade Centre Pvt. Ltd., SLP(C) No.32709-32710/2018.

2. An appeal against the order shall be made in duplicate in the Form appended to this notification at **ANNEXURE-1** and shall be presented manually before the Appellate Authority within the time specified in sub-section (1) of section 107 or sub-section (2) of section 107 of the said Act, as the case may be, and such time shall be computed from the date of issuance of this notification or the date of the said order, whichever is later:

Provided that any appeal against the order filed in accordance with the provisions of section 107 of the said Act with the Appellate Authority before the issuance of this notification, shall be deemed to have been filed in accordance with this notification.

3. The appellant shall not be required to deposit any amount as referred to in sub-section (6) of section 107 of the said Act as a pre-condition for filing an appeal against the said order.

4. An appeal filed under this notification shall be accompanied by relevant documents including a self-certified copy of the order and such appeal and relevant documents shall be signed by the person specified in sub-rule (2) of rule 26 of Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017.

5. Upon receipt of the appeal which fulfills all the requirements as provided in this notification, an acknowledgement, indicating the appeal number, shall be issued manually in FORM GST APL-02 by the Appellate Authority or an officer authorised by him in this behalf and the appeal shall be treated as filed only when the aforesaid acknowledgement is issued.

6. The Appellate Authority shall, along with its order, issue a summary of the order in the Form appended to this notification as **ANNEXURE-2**.

7. This notification shall be deemed to be effective from the 31st July, 2023.

[File. No. VaKar/GST/01/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

**Vipra Bhal,**
Secretary,
Commercial taxes Department.

**ANNEXURE-1**

**Appeal to Appellate Authority**

***(Filed against an order passed in accordance with Circular No. 182/14/2022-GST, dated 10th of November, 2022 pursuant to the directions issued by the Hon'ble Supreme Court in the Union of India v/s Filco Trade Centre Pvt. Ltd., SLP(C) No.32709-32710/2018)***

1. GSTIN–
2. Legal name of the appellant –
3. Trade name, if any –
4. Address –
5. Order No. - Order dated –
6. Designation of the officer passing the order appealed against –
7. Date of communication of the order appealed against –
8. Name of the authorized representative –
9. Details of the case under dispute –

(i) Brief issue of the case under dispute –

(ii) Amount of transitional credit claimed **before** the issuance of circular no. 182/14/2022-GST, dated 10th of November, 2022 (Act-wise)–

(iii) Details of any order u/s 73/74 passed in respect of the claim referred to in sub-item (ii) above:

(a) Order No. - Order dated-
(b) Amount allowed as per said order (Act-wise)-Rs.
(c) Interest and penalty levied as per said order (Act-wise)-Rs.
(d) Whether any appeal preferred against said order- Yes/No
(e) If appeal filed then Appeal No.- Appeal Date-
(f) Status of said Appeal- Disposed/Pending
(g) If appeal disposed off then amount of credit allowed as per said Appeal (Act-wise)-Rs.

(iv) Amount of transitional credit claimed **after** the issuance of circular no. 182/14/2022-GST, dated 10th of November, 2022 (Act-wise)–

(v) Amount of credit allowed in pursuance of claim referred to in sub-item (iii) above (Act-wise)-Rs.

(vi) Amount under dispute (Act-wise)-Rs.

10. Whether the appellant wishes to be heard in person – Yes / No
11. Statement of facts:
12. Grounds of appeal:
13. Prayer:

**<u>Verification</u>**

I, < ___________________________ >, hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place:
Date:

Signature
Name of the Applicant

**Note:**

1. If the space provided for answering any item is found to be insufficient, separate sheets may be used.
2. The letters "N.A." may be recorded against any item that is not required for this Appeal.

**ANNEXURE-2**

SUMMARY OF TRANSITIONAL CREDIT AVAILABLE AFTER ISSUE OF ORDER BY THE APPELLATE AUTHORITY WITH REFERENCE TO AN ORDER PASSED IN ACCORDANCE WITH CIRCULAR NO. 182/14/2022-GST, DATED 10th of NOVEMBER, 2022

A. GSTIN -

B. Name of the Appellant/ person-

Address of the Appellant/person -

C. Order appealed against- Ref. (if any) Dated-

D. Appeal No. Dated-

E. Personal Hearing-

F. Order in Brief-

G. Status of Order- Confirmed/Modified/Rejected

H. Amount of Credit/ Demand after Appeal-

| Particulars | Central Tax | State/UT Tax |
|---|---|---|
| a) Amount of transitional credit found to be admissible pursuant to order of the Proper Officer | | |
| b) Amount determined by Appellate Authority | | |

Place:

Date:

Signature:

Name of the Appellate Authority:

Designation:

Jurisdiction:

# वाणिज्य-कर विभाग

--------

अधिसूचना

12 दिसम्बर, 2023

**अधिसूचना सं०.29/2023- राज्य कर**

**एस. ओ. सं. 42, दिनांक 12 दिसम्बर, 2023--**झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या अधिकारी द्वारा अनुपालन की जाने वाली निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया अधिसूचित करती है, जो एसएलपी (सी) संख्यांक 32709-32710/2018 भारत संघ बनाम फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में परिपत्र संख्या 182/14/2022-जीएसटी, तारीख 10 नवंबर, 2022 के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के अधीन उचित अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध कोई अपील फाइल करने का आशय रखता है ।

2. आदेश के विरुद्ध अपील इस अधिसूचना के उपाबंध। पर दिये संलग्नप्ररूप में दो प्रतियों में की जाएगी और उक्त अधिनियम की यथास्थिति, धारा 107 की उपधारा (1) या धारा 107 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट समय के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष मैन्युअल रूप से प्रस्तुत की जाएगी, और ऐसे समय की गणना इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख या उक्त आदेश की तारीख, जो भी पश्चातवर्ती हो, से की जाएगी:

परंतु इस अधिसूचना के जारी होने से पहले अपीलीय प्राधिकारी के पास उक्त अधिनियम की धारा 107 के उपबंधों के अनुसार आदेश के विरुद्ध फाइल कोई भी अपील इस अधिसूचना के अनुसार फाइल की गई मानी जाएगी ।

3. अपीलार्थी को उक्त आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करने की पूर्वशर्त के रूप में उक्त अधिनियम की धारा107 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट कोई भी रकम जमा करना अपेक्षित नहीं होगा ।

4. इस अधिसूचना के अधीन फाइल की गई अपील के साथ आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति सहित सुसंगत दस्तावेज संलग्न होंगे और ऐसी अपील तथा सुसंगत दस्तावेजों पर केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 26 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

5. अपील की प्राप्ति पर जो इस अधिसूचना में उपबंधित सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है, अपील संख्यांक को उपदर्शित करते हुए एक पावती, अपीलीय प्राधिकारीया उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्ररूप जीएसटी एपीएल 02- में मैन्युअल रूप से जारी की जाएगी और अपील केवल तभी फाइल की जाएगी जब उपरोक्त पावती जारी की हो ।

6. अपीलीय प्राधिकारी, अपने आदेश के साथ, इस अधिसूचना के साथ उपाबंध 2-के रूप में संलग्न प्ररूप में आदेश का सारांश जारी करेगा ।

7. यह अधिसूचना 31 जुलाई, 2023 से लागू मानी जाएगी ।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी०/01/2020]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

**विप्रा भाल,**
सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग ।

**उपाबंध1-**

## अपीलीय प्राधिकारी को अपील

एसएलपी (सी) सं0 32790-327910/2018 भारत संघ बनाम फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निदेशों के अनुसरण में परिपत्र संख्या- 182/14/2022-जीएसटी, तारीख 10नवंबर, 2022 के अनुसार पारित आदेश के विरुद्ध फाइल की गई)

1. जीएसटीआईएन-
2. अपीलार्थी का विधिक नाम-
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो-
4. पता-
5. आदेश संख्या - आदेश तारीख-
6. जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसे पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम-
7. जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी संसूचना की तारीख-
8. प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम-
9. विवादाधीन मामले के ब्यौरे-
   (i) विवादाधीन मामले का संक्षिप्त विवरण-
   (ii) परिपत्र संख्याक 182/14/2022-जीएसटी, तारीख 10 नवंबर, 2022 (अधिनियम-वार) जारी होने से पूर्व दावा की गई ट्रांजिशनल क्रेडिट की रकम।
   (iii) उपरोक्त उपमद (iii) में निर्दिष्ट दावे के संबंध में धारा 73/74 के अधीन पारित किसी भी आदेश के ब्यौरे:
      (क) आदेश संख्या - आदेश तारीख-
      (ख) उक्त आदेश के अनुसार अनुज्ञात रकम (अधिनियम-वार) - रु.
      (ग) उक्त आदेश के अनुसार उद्धहरण हुआ ब्याज और जुर्माना (अधिनियम-वार) - रु
      (घ) क्या उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर की गई है - हां/नहीं
      (ड.) यदि अपील फाइल की गई है तो अपील संख्या -अपील तारीख-
      (च) उक्त अपील की प्रास्थिति - निस्तारित/लंबित
      (छ) यदि अपील का निपटारा हो जाता है तो उक्त अपील के अनुसार स्वीकृत क्रेडिट रकम (अधिनियम-वार) - रु.
   (iv) परिपत्र संख्यांक 182/14/2022 -जीएसटी, तारीख 10 नवंबर, 2022 (अधिनियम-वार) जारी होने से पूर्व दावा की गई ट्रांजिशनल क्रेडिट की रकम।
   (v) उपरोक्त उपमद (iii) में निर्दिष्ट दावे के अनुसरण में स्वीकृत क्रेडिट की रकम (अधिनियम-वार) - रु.
   (vi) विवादाधीन रकम (अधिनियम-वार) - रु.
10. क्या अपीलार्थी व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है - हाँ/नहीं
11. तथ्यों का विवरण:
12. अपील के आधार:
13. प्रार्थना:

**<u>सत्यापन</u>**

मैं, < ______________________________ >, सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूं कि यहां ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थान:
तारीख:

हस्ताक्षर
आवेदक का नाम

**टिप्पण:**

1. यदि किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिया गया स्थान अपर्याप्त पाया जाता है, तो अलग शीट का उपयोग किया जा सकेगा।
2. अक्षर "एन.ए." किसी भी मद के विरुद्ध अभिलिखित किया जा सकेगा जो इस अपील के लिए अपेक्षित नहीं है।

**उपाबंध-2**

परिपत्र संख्या 182/14/2022-जीएसटी, तारीख 10 नवंबर, 2022 के अनुसार पारित किसी आदेश के संदर्भ में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने के पश्चात् उपलब्ध संक्रमण कालीन क्रेडिट का सारांश

क. जीएसटीआईएन-

ख. अपीलार्थी/व्यक्ति का नाम-

अपीलार्थी/व्यक्ति का पता-

ग. आदेश के विरुद्ध अपील की गई -संदर्भ (यदि कोई हो) तारीख-

घ. अपील संख्या तारीख-

ड. व्यक्तिगत सुनवाई-

च. संक्षेप में आदेश-

छ. आदेश की प्रास्थिति -पुष्टि/उपांतरित/निरस्त

ज. अपील के पश्चात् क्रेडिट/मांग की राशि-

| विशिष्टियां | केंद्रीय कर | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर |
|---|---|---|
| (क) उचित अधिकारी के आदेश के अनुसरण में अनुज्ञेय पाई जाने वाली संक्रमणकालीन क्रेडिट रकम | | |
| (ख) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अवधारित रकम | | |

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर:

अपीलीय प्राधिकारी का नाम:

पदनाम:

अधिकारिता:

--------